संचिका संख्या–अ0स0क0 08–13/2012...1337.../
बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक

मो0एस0आई0फैसल
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में

सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 05.09.18

विषयः मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के संबंध में दिशा निर्देश।

प्रसंग– विभागीय पत्रांक–4675, दिनांक–19.03.2018

महाशय,

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कुछ जिलों में अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की सूचना मिली है। ऐसे में सभी आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यंत दुरूह कार्य होगा। अतः उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत आवेदनों के चयन के संबंध में दिये गए दिशा निर्देशों को स्पष्ट करते हुए कहना है कि रोजगार ऋण हेतु लाभुकों के चयन के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जा सकती है :–

(i) रोजगार ऋण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों जिसके साथ सभी आवश्यक कागजात संलग्न हों, को ही आगे की प्रक्रिया अन्तर्गत सम्मिलित किया जाय।

(ii) प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न कागजातों को सही मानते हुए मूल्यांकन पत्रक के अनुसार 85 अंको के सापेक्ष मूल्यांकन किया जाय। त्रुटिपूर्ण आवेदनों एवं ऐसे आवेदन जिसमें सभी आवश्यक कागजात संलग्न न हो, को कारण के साथ पृथक सूची में रखा जाय।

(iii) सही पाये गए आवेदनों का पत्रक के अनुसार मूल्यांकन कर प्राथमिक वरीयता सूची निर्मित की जाय।

(iv) उक्त प्राथमिक वरीयता सूची से वित्तीय लक्ष्य के अंदर आने वाले आवेदकों की संख्या के तीन गुनी संख्या तक के आवेदकों को सूचीबद्ध करते हुए साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायगा। लघु/वृहद प्रक्षेत्रबार आरक्षित ऋण की सीमा सुनिश्चित करने हेतु वरीयता सूची में अतिरिक्त आवेदकों को शामिल किया जा सकता है।

(v) साक्षात्कार के क्रम में आवेदकों द्वारा संलग्न कागजात की जाँच, उनकें मूल दस्तावेजों से मिलान कर की जाय। दस्तावेजों के मूल्यांकन एवं साक्षात्कार में दिए गए अंकों के आधार पर जिला के लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के 120 प्रतिशत के सापेक्ष आवेदकों की अंतिम वरीयता सूची तैयार की जायगी।

(कृ0पृ0उ0)

(vi) अंतिम वरीयता सूची में आने वाले आवेदकों के आवेदन के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र का सत्यापन RTPS की वेबसाईट से तथा आधार कार्ड का सत्यापन बार कोड स्कैनर ऐप/UIDAI की वेबसाईट से कर लिया जाय।

(vii) सत्यापन के क्रम में सही पाये गए आवेदकों के व्यवसाय के संबंध में स्थल निरीक्षण करवाया जाय। तत्पश्चात् अंतिम रूप से चयनित आवेदकों की सूची बनाकर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को अनुमोदन हेतु भेजी जाय।

(viii) जिन जिलों में आवेदकों की चयन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है और योग्य आवेदकों की सूची बना ली गई है वहां उपर्युक्त चरणबद्ध प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

(ix) किसी प्रक्षेत्र विशेष में अत्यधिक (यथा आधे से अधिक) आवेदकों का चयन अवांछनीय हो सकता है। अतः विभिन्न प्रक्षेत्रों की व्यवसायिक क्षमता के अनुसार बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम प्रक्षेत्रवार ऋण की अधिकतम प्रतिशत सीमा निर्धारण करने हेतु सक्षम होगा।

विश्वासभाजन

विशेष सचिव–सह–निदेशक